भारतीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.एस.)

अनुसूची–24: महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतिया

1. लेखाकंन परम्परा

– ऐतिहासिक लागत एवं लेखाकंन की प्रोदभूत प्रणाली के आधार पर वित्त विवरणों को तैयार किया जाता है।

– केन्द्रीय स्वायतशासी निकायों के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र के आधार पर वित्त विवरणों को विस्तृत रूप से तैयार किया जाता है।

2. स्थायी सम्पत्तियां–

– स्थायी सम्पत्तियों को माल भाडे सहित अर्जन की लागत एवं अर्जन से सम्बन्धित शुल्क तथा कर एवं आकस्मिक तथा प्रत्यक्ष व्ययों पर उल्लेखित किया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध मे, सम्बन्धित पूर्व संचालित व्यय उपयोग मे लायी गई सम्पत्तियों का भाग होते है।

– किराये के अस्थायी परिसरों पर उत्पन्न होने वाले बडे उद्धार कार्यो पर उत्पन्न होने वाले व्यय को तीन वर्ष की अवधि पर होने वाले परिशोधन का अस्थायी व्यय माना जाता है।

3. **ह्रास–**

– आयकर अधिनियम 1961 मे वर्णित दरों पर ह्रास का प्रावधान अवलेखित मूल्य प्रणाली पर किया गया है।

– स्थायी सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूंजी अभिलाभ/कोष (सरकारी एवं गैर सरकारी) को आस्थगित आय माना जाता है तथा उसे सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित एवं तर्क संगत आधार पर आय एवं व्यय खाते मे दर्शाया जाता है।

4. **राजस्व अभिज्ञान–**

– छात्रों से प्राप्त शुल्क को प्रोदभूत आधारों पर मान्यता प्रदान की जाती है, सिर्फ कार्यकारियों के पी.जी.पी. के उस नामाकंन शुल्क को छोड कर, जिसका हिसाब शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है।

– प्रोदभूत आधार पर स्थाई जमाओं के ब्याज को मान्यता प्रदान की जाती है।

5. **विदेशी मुद्रा का कार्य सम्पादन**

– विदेशी मुद्रा से कार्य सम्पादित लेन देन की दिनांक पर प्रभावी विनिमय दर पर किया जाता है।

6. **सरकारी अनुदान–**

– सरकारी अनुदानों की गणना, सरकारी विभाग से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर की जाती है।

– संस्था के विन्यास में उत्पन्न होने वाली पूंजी लागत के लिये उपयोग मे लाई गई योजना के अनुदानों को पूंजी कोष के रूप मे माना जाता है तथा उसे वर्षाकिंत कोष शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

– स्थायी सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे अनुदानों को आस्थगित आय के रूप मे माना जाता है तथा उसे सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित एवं तर्क संगत के आधार पर आय एवं व्यय खाते मे दर्शाया जाता है। यानि पूंजी अनुदान को आय में उस अनुपात में विनिधान किया जाता हैं, जिस अनुपात मे ह्रास को प्रभारित किया गया है।

7. **आकस्मिक दायित्व–**

– सभी ज्ञात दायित्वों, आकस्मिक दायित्वों, यदि कोई है, के लिये प्रावधान किया जाता है तथा उसे संकेत के माध्यम से खातों मे दर्शाया जाता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर

अनुसूची 25– संकेत जो लेखों के भाग है

1. भारत सरकार– मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदानों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(रूपये लाखों में)

विवरण	2012–0213	2011–2012
पिछले चिट्‌टे के अनुसार शेष	355.01	0.00
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,906.00	992.16
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	0.00	400.00
उत्पन्न पूंजी / नवीनीकरण व्यय	1,341.70	719.17
उत्पन्न राजस्व व्यय	593.00	317.98
वर्ष के अन्त में शेष	326.31	355.01

2. गैर निष्पादित पूंजी अनुबंध–

– गैर निष्पादित पूंजी अनुंबध जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया (शुद्ध अग्रिम) 2,009.92 लाख रूपये (पूर्व वर्ष– 268.80 लाख)

3. **चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम**

– प्रबन्धन की राय मे, चालू सम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों का व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में प्राप्त मूल्य, कम से कम चिट्ठे मे दर्शायी गयी कुछ राशि के बराबर होगा।

4. **कर निर्धारण**

– धारा 10 (23 सी) (पपपंइ) के अन्तर्गत कर छूट के लिहाज से तथा आयकर अधिनियम की धारा 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय नहीं है तो आयकर हेतु किसी भी प्रावधान पर विचार करना आवश्यक नहीं माना गया है।

5. **निम्नलिखित से स्त्रोत पर कटौती किया गया कर–**

(रूपये लाखों में)

विवरण	**2012–2013**	**2011–0212**
ब्याज से आय	3.38	0.70
परामर्श एवं अुसंधान परियोजना एवं अन्य	0.42	1.04

6. विदेशी मुद्रा में व्यय–

(रूपये लाखों में)

विवरण	**2012–2013**	**2011–0212**
सदस्यता शुल्क	10.36	1.47

पुस्तके एवं सम्बन्धित सामग्री	15.11	4.63
अन्य	3.86	0.10

7. विविध व्यय, बट्टे खाते की सीमा तक नहीं

(रूपये लाखों में)

विवरण	**2012–2013**	**2011–0212**
अस्थाई परिसरों पर नवीनीकरण व्यय अ) पिछले चिट्टे के अनुसार शेष	80.39	0.00
जोड– वर्ष के दौरान उत्पन्न	182.73	120.58
योग	263.12	120.58
घटत– वर्ष के दौरान बट्टे खाते	131.56	40.19
शेष	**131.56**	**80.39**

8. पिछले वर्ष के लिये सदृश्य आंकडों को वहां पर पुनः एकत्रित/पुर्नव्यवस्थित किया गया है जहां उसे चालू वर्ष से तुलना करने के लिये आवश्यक माना गया है।

अनुसूची 1 से 25 तक हस्ताक्षर

उदयपुर	जनत शाह	दिनकर हितैषी
10 अक्टूबर 2013	निदेशक	मुख्य (प्रशासन)

कृते– सौरब एस. इन्जीनियरिंग एण्ड कम्पनी
फर्म पंजीकरण संख्या 110417
सनिधि लेखाकार

सनिधि लेखाकार चौकसी श्रेयास बी.
साझेदार
सदस्यता संख्या 100892